VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1391)

Name of Candidate	SUNIL KUMAR		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	729226
Center	Jaipur	Date	25/11/2019

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks. 12.5X20=250

1. Enumerate important privileges enjoyed by each House of Parliament collectively and its members individually and also discuss their significance.
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्त्व की भी चर्चा कीजिए।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों व अनु० 194 में विधानमण्डल सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है।

सामूहिक विशेषाधिकार -

* सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई बात पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

* सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सदन के अध्यक्ष / सभापति की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

* सदन अपनी कार्यवाही अपने अनुसार कर सकता है। गुप्त बैठक कर सकता है। कार्यवाही का प्रसारण रोक सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

* सदन के सदस्य को सत्र के दौरान न्यायालय में उपस्थिति हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता है।

* संसद सदस्य को मंत्री द्वारा गलत जानकारी नहीं दी जा सकती है।

* सदन में बोलने व आचरण पर न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।

महत्व - संसदीय विशेषाधिकार जनप्रतिनिधियों के जनता की आवाज बनने में सहायक है। इससे कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित होता है। सामूहिक अधिकारों से लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा बनी रहती है। सांसद निडर होकर कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष - स्पष्ट है कि विशेषाधिकार उत्तरदायी लोकतंत्र की पूर्वशर्त है लेकिन इनको सूचीबद्ध किया जाना भी आवश्यक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks. 12.5X20=250

1. Enumerate important privileges enjoyed by each House of Parliament collectively and its members individually and also discuss their significance.

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्त्व की भी चर्चा कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Give an account of the composition and functions of the Finance Commission as mentioned in the Constitution of India.
भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए।

संविधान के अनुच्छेद 280 मे वित्त आयोग का उल्लेख है।

संरचना - वित्त आयोग मे एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

योग्यता - अध्यक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए

सदस्य - अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो
- लेखाशास्त्र के विशेषज्ञ हो
- सार्वजनिक अनुभव रखने वाले हो

अध्यक्ष व सदस्यो की आयु, सेवाशर्तें आदि के बारे में संविधान मौन है। प्रत्येक 5 वर्ष से केन्द्र - राज्य राजस्व वितरण व निर्दिष्ट सुझावों हेतु इसका गठन होता है।

कार्य - वित्त आयोग के निम्न कार्य है-

* केन्द्र - राज्य के मध्य शुद्ध राजस्व का वितरण का अनुपात तय करना

* पंचायती राज संस्थाओं के उचित वित्तीयन हेतु वित्त की व्यवस्था कराना

* राजकोषीय संघवाद की मजबूती हेतु सुझाव

* राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामले।

हाल ही में 15 वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जो अपने सुझावों में 2011 की जनगणना के आंकडे शामिल करने पर विचार कर रहा है जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध हो रहा है।

निष्कर्ष :- वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है इसे सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर अमल कर मजबूत बनाना चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Preamble shows the general purposes behind several provisions in the Constitution, and is a key to the minds of the makers of the Constitution. Explain. Also, comment on the amendability of the Preamble.

उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए। साथ ही, उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए।

संविधान सभा में 11 नवम्बर 1946 को नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव का परिष्कृत रूप बाद में उद्देशिका बनी।

उद्देशिका में समस्त संविधान का निचोड़ समाया हुआ है जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है -

* हम भारत के लोग - यह लोकप्रभुत्व को दर्शाता है जो हमारे पंचायतीराज (243) से लेकर संसद तक आम जन की आवाज के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

* लोकतांत्रिक समाजवाद - भारत ने समाजवाद का लोकतांत्रिक मॉडल अपनाया है जिसे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में तथा नीति निर्देशक तत्वों में अनु. 38, 39, 41, 42, 43 में सहज ही देखा जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय :-

मूल अधिकार (अनु० 12-35) तथा नीति निदेशक तत्वों (अनु० 36-51) द्वारा इसी दर्शन को विस्तार से वर्णित किया गया है।

उदा० - अनु० 17 अस्पृश्यता का अंत - सामाजिक न्याय
अनु० 39(D,E) धन का संकेन्द्रण एक जगह नहीं - आर्थिक न्याय
अनु० 14, 15 - अवसर की समानता } राजनीतिक न्याय
326 - मतदान अधिकार

स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व - मूल अधिकारों व DPSP में इन्हीं को व्याख्यायित किया है।

धर्मनिरपेक्षता - अनु० 15 - धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनु० 25, 26, 27, 28 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता इनके प्रयोग को प्रतिबिंबित

स्पष्ट है कि प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की कुंजी है।

संशोधन :- प्रस्तावना में संशोधन संबंधी मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के सामने बार-बार उठा है। जिसमें केशवानन्द भारती वाद 1973

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मे स्पष्ट बताया है कि प्रस्तावना मे संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को नही बदला जा सकता है। 42 वे संविधान संशोधन 1976 मे इसमे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े थे जिसे न्यायालय ने सही माना।

निष्कर्ष :- डा. भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Explain the principle of subsidiarity, its importance and discuss how the 73rd constitutional amendment act tries to achieve it.

समनुषंगिता के सिद्धांत व इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है।

भारत में संसदीय संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें शासन के तीन स्तर केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्वशासन है।

समनुषंगिता - संविधान में विकेन्द्रीकरण व उत्तरदायी शासन पर अत्यधिक बल दिया गया है। अनु०40 भी ग्राम पंचायतो की स्थापना हेतु निर्देशित करता है इस सिद्धांत के अनुसार शासन के विभिन्न अंग होने चाहिए जो क्रमश: आमजन के निकटतम हों।

महत्व - भारत में आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली नई है जिसे आधारभूत स्तर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय स्वशासन का सहारा लेना आवश्यक है। यद्यपि भारत में चोलकाल से ही ग्राम स्वशासन के प्रमाण मिलते है लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे समनुषंगिता के सिद्धांत के तहत स्थापित किया है जो भारत में विकेन्द्रीकृत व पारदर्शी शासन का कारण बना है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

73 वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ जिसमें पंचायती राज को संविधान में स्थान दिया गया। इसमें अनुसूची 9 व अनुच्छेद 243 को जोड़ा॥

इस प्रावधान के बाद पंचायतीराज में वित्तीयन, नियमित चुनाव, अफसरशाही का दबाव जैसी समस्याएं दूर हुई तथा पंचायतीराज मजबूत हुआ है। महिला प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या इसका सुखद प्रतीक है।

यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों ने पंचायतीराज को सभी 29 विषय हस्तांतरित नहीं किए हैं तथा पुरुष प्रधानता व जागरूकता का अभाव इसमें बाधक बने हुए हैं किंतु इस संविधान संशोधन ने शासन के इस तीसरे स्तर को मजबूती जरूर प्रदान की है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Explaining the importance of an independent judiciary, highlight the relevant Constitutional provisions that safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court.

एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्त्व की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल शासन के तीनो अंगों को अलग व स्वतंत्र बनाया है यद्यपि चेक व बैलेंस की व्यवस्था जरूर की है।

स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व

- लोकतंत्र में संविधान के अनुसार शासन की उपयुक्त व्याख्या केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है
- कार्यपालिका की तानाशाही से न्यायपालिका ही रक्षा कर सकती है
- नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक
- संविधान की रक्षा हेतु आवश्यक
- संघीय ढांचे को बचाने के लिए आवश्यक

Ex. हाल ही में महाराष्ट्र में 2019 में केन्द्र सरकार ने राज्यपाल को एजेन्ट की भांति इस्तेमाल कर राज्य सरकार में हस्तक्षेप किया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बचाया यह स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना संभव नही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका हेतु निम्न प्रावधान किए हैं —

- अनुच्छेद 13 मूल अधिकारो से असंगत विधि को शून्य घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को देता है

- अनुच्छेद 226 ऐसी ही शक्ति उच्च न्यायालयो को देता है।

- अनुच्छेद 32 नागरिको की मूल अधिकारो की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार देता है।

- अनु॰ 124 व 213 अभिलेख न्यायालय व अवमानना के प्रावधान उल्लेखित करता है

- न्यायाधीशो की नियुक्ति, हटाना, सेवा शर्तें संबंधी स्वतंत्र प्रावधान

स्पष्ट है कि भारत मे संविधान ही सर्वोपरि है जिसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है अतः न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यावश्यक है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिसे संविधान ने भली भांति उल्लेख भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती वाद 1973 व NJAC 2015 में भी न्यायिक परीक्षण व स्वतंत्र न्यायपालिका को मूल ढांचा मानते हुए अनुल्लंघनीय कहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Mention the six freedoms as guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution. Also, comment on the way in which the constitution has attempted to strike a balance between individual liberty and interests of society.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत छः स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही, संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए।

संविधान के भाग 3 में अनु॰ 19 में निम्न 6 स्वतंत्रताएँ उल्लेखित हैं -

1. विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
3. संघ बनाने व शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता
4. भारत मे कहीं भी संचरण की स्वतंत्रता
5. भारतमे कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता।
6. भारत मे कहीं भी बसने की स्वतंत्रता

यद्यपि अनुच्छेद 19(2) में उपर्युक्त स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी आरोपित किए हैं ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज हित मे संतुलन स्थापित हो सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्बंधन - विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखण्डता, किसी दूसरे की भावनाओ को ठेस पहुँचाने आदि संदर्भ मे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

* सम्मेलन करने व संघ बनाने की स्वतंत्रता को शांति भंग करने, कानून व व्यवस्था बिगाड़ने राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के संदर्भ में रोका जा सकता है

* विचरण करने व बसने की स्वतंत्रता को वेश्या वृत्ति वाली महिला, अपराधी व्यक्ति आदि के संदर्भ मे प्रतिबंध लगाया जा सकता है

स्पष्ट है कि स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं है। सभी को स्वतंत्रता देने के लिए व्यक्ति व समाज के मध्य संतुलन कायम रखना होगा जिसे समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है। जैसे IT Act 2000 की धारा 66A विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक प्रतिबंध लगाती थी जिसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. With examples, discuss the significance of alternative dispute resolution mechanisms in light of costly and time-consuming litigation process in India.

भारत में महंगी और समयसाध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्त्व की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

न्याय में देरी, अन्याय के समान है, कहावत भारत मे चरितार्थ हो रही है। भारत में न्यायालयों में 4 करोड से अधिक वाद लंबित है

महंगी - भारत मे न्यायिक प्रक्रिया जटिल व आमजन से सहज नहीं है। उसकी भाषा, नियम व प्रक्रिया क्लिष्ट है अत: वकीलों का सहारा लेना पड़ता है जिसे 30 करोड से अधिक BPL जैसे भारतीय सहन नहीं कर सकते है। अत; वैकल्पिक विवाद समाधान को अपनाना होगा।

वैकल्पिक विवाद समाधान :- अनुच्छेद 45 मे भी नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया

यह समाधान तंत्र लोक अदालतों, पारिवारिक अदालत व ग्राम न्यायालयों के तहत सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोक अदालत - यह स्थानीय विवादो को मध्यस्थता से निपटाने पर बल देती है। अभी तक यह लाखो विवाद निपटा चुकी है। इनमें प्रक्रिया संहिताओ का पालन नहीं किया जाता है, तथा इसका निर्णय अंतिम होता है जिससे समयबद्ध निपटान हो पाता है।

पारिवारिक अदालत - पारिवारिक विवादो जैसे पति - पत्नी के झगड़े का विवाद आदि को न्यायपालिका में लाकर वकीलो से नहीं सुलझाया जा सकता है अतः यह वैकल्पिक तंत्र उन्हें आपस में सुलह के लिए राजी कर धन व समय बचाता है

ग्राम न्यायालय - 2008 से शुरू यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के सिविल व फौजदारी मामलो का निपटान करती है इनमें जिला न्यायाधीश के स्तर का न्यायाधीश न्याय करता है अन्य सदस्य सामाजिक अनुभवी होते हैं

अधिकरण - अनु 323 में A (अधिकरण), B (प्रशासनिक अधिकरण) का प्रावधान है जो सिविल मामलो को जल्दी निपटाते है जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निष्कर्ष - स्पष्ट है कि भारत में सस्ती व समयसाध्य न्याय प्रणाली के विकल्प के लिए तंत्र को मजबूत करना चाहिए। विधि आयोग के सुझावों पर अमल किया तथा अनु॰ 136 के तहत विशेष अपील के दुरुपयोग को रोका जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Explain why the Indian Constitution has been argued to have created a 'federation with a centralising tendency'.

ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ' को सृजित किया है, व्याख्या कीजिए।

भारत ने संघात्मक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है।

संविधान में संघात्मक विशेषताएं -

* लिखित व विस्तृत संविधान
* द्विसदनीय विधायिका - राज्यसभा राज्य के हितो का प्रतिनिधित्व करती है।
* शक्तियो का विभाजन - सातवी अनुसूची
* स्वतंत्र न्यायपालिका
* निर्वाचन आयोग, वित आयोग जैसे प्रावधान

एकात्मक विशेषताएं - सैद्धांतिक रूप से संघात्मक दिखता है लेकिन व्यावहारिक रूप से केन्द्रीकरण अधिक है

क्योंकि - ① राज्य धन के लिए केन्द्र पर निर्भर - पहले योजना आयोग था तो अधिक निर्भरता थी किंतु अभी भी अनु. 275, 282 आदि

② सातवीं अनुसूची के विषयो मे केन्द्र की इच्छी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में महत्वपूर्ण विषय है,
समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र का विधान सर्वोपरि है।
पाँच परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी केन्द्र कानून बना सकता है
अवशिष्ट शक्तियां भी केन्द्र के पास है।
* एकल नागरिकता
* राज्यपाल का पद - विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग देखा जाता है।
* अखिल भारतीय सेवाएं,
* आपातकालीन प्रावधान आदि प्रावधान केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाते है।

Ex. हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को बिना उनके विधानमण्डल की सहमति से दो केन्द्र शासित राज्यों में बाँट दिया। यद्यपि यह संवैधानिक रूप से सही है (अनुच्छेद 2,3) किंतु भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अतः इसे केन्द्रीकरण प्रवृति वाला संघ कहा जाता है (आइवर जेनिंग्स)

भारत में समावेशी व सतत विकास के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है (पुंछी आयोग, 2nd ARC)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The parliamentary control over government and administration in India is more theoretical than practical. Discuss.

भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण व्यावहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। चर्चा कीजिए।

भारत में शासन के तीनो अंगो के मध्य चेक व बेलेंस की प्रणाली स्थापित की गई है।

संसदीय नियंत्रण - भारत ने ब्रिटेन की तर्ज पर उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रणाली पर बल दिया है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि अंततः विधायिका ही जनता की आवाज है

सैद्धांतिक प्रावधान - 1. अनुच्छेद 78 - मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह लोकसभा में विश्वास तक ही बनी रह सकती है।

2. 105, 194 - संसदीय विशेषाधिकार जो कार्यपालिका को संदस्यों को त्रुटिरहित जवाब देने के लिए बाध्य करता है।

3. संसदीय नियंत्रण - A. समितियो द्वारा नियंत्रण
तीन स्थाई समितियां - प्राक्कलन
- लोक लेखा
- सार्वजनिक उपक्रम संबंधी

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* प्रश्नकाल, शून्यकाल – कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर
* विभिन्न प्रस्ताव – विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षण, कटौती आदि प्रस्ताव
* वित्तीय नियंत्रण – कार्यपालिका संसद की अनुमति के बिना कोष से ~~नियंत्रण~~ धन नहीं निकाल सकती है (अनु० 268, 269)

बजटीय नियंत्रण – अनुच्छेद 112 आदि

स्पष्ट है कि सैद्धांतिक प्रावधानों की सूची बहुत लम्बी है किंतु व्यवहार में लोकतंत्र की अपरिपक्वता, जन जागरूकता की कमी मीडिया व सिविल सोसाइटी की प्रभावी भूमिका की कमी से कार्यपालिका संसद पर हावी हो जाती है।

ऐसा आम चुनावों में मतदान प्रतिशत व लोकसभा सीटों की अधिकता से भी देखने को मिलता है. इससे व्यक्ति पूजा बढ़ती है। राजनीतिक दल के प्रभावी नेता ही कार्यपालिका व विधायिका को नियंत्रित करते हैं इसे स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया व जागरूक जनता ही संतुलन स्थापित कर सकती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान सरकार में संसदीय नियंत्रण की कमी कई निम्न उदाहरण सामने आए हैं:

* मजबूत विपक्ष की कमी
* आवश्यक विधेयकों को धन विधेयक के रूप में रखवाना (आधार अधि॰ 2018 विवाद)
* संसद में चर्चा व मतदान के न्यूनतम उदाहरण देखने को मिले हैं।

जनादेश अपनी जगह सही है किंतु वाद-विवाद के महत्व को नकारना लोकतंत्र की परिपक्वता नहीं है। अतः संसद में पारदर्शी व उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Why did the Constituent Assembly replace the original plan to have elected governors in favour of appointment by the President? Also, bring out the arguments that are raised against the current form of appointment of Governors.

संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? साथ ही, राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत मे संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। राज्यो में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को बनाया जाता है

निर्वाचित राज्यपाल क्यों नही? -

* संसदीय शासन में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। अतः मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनो के निर्वाचन से शक्ति विभाजन संबंधी समस्या उत्पन्न होती।

* राज्यपाल का निर्वाचन अनावश्यक व खर्चीला भी होता।

* राजनीति से जुड़ा राज्यपाल होने पर निष्पक्ष भूमिका नही निभा पाता

* ब्रिटेन की संसदीय पद्धति जिसमे नाममात्र कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका का भेद है के तहत ही भारत ने पद्धति अपनाई गई

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निमुक्ति का वर्तमान तरीका - वर्तमान में राष्ट्रपति केन्द्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।

इसके विरुद्ध तर्क - * संघवाद को चोट पहुंचाती है

* केन्द्र राज्यपाल का इस्तेमाल एजेंट की भांति करता है Ex. महाराष्ट्र के हाल ही मे विवाद

* चुनाव हारे हुए पार्टी नेताओ व पक्षपाती सिविल सेवको को लगाया जाता है

* राजनीतिक झुकाव बना रहता है

स्पष्ट है कि राज्यपाल का पद सदैव ही विवाद का विषय रहा है।

सुझाव - राज्यपाल संसदीय व्यवस्था का आवश्यक अंग है अतः इसकी नियुक्ति प्रणाली व पद को यथास्थिति में रखना चाहिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय-समय पर फैसले व सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग की सिफारिशों को अमल मे लाकर आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए जिनमे निम्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुख्य है।

* राज्यपाल के स्थानांतरण व हटाने के प्रावधान संविधान में उल्लेखित कर कड़े बनाए जाए ताकि दबाव न रहे।

* राजनीतिक दल व नियुक्त राज्य संबंध न हो।

* नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश से हो जिसमें CJI, विपक्ष का नेता शामिल हो आदि

इनसे राज्यपाल के पद की गरिमा बनाई रखी जा सकेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Explaining the concept of judicial activism, discuss why it is important for courts not to take over the functions of the legislature or the executive.

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, चर्चा कीजिए कि न्यायालयों के लिए विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण है।

न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर जनहितकारी मुद्दों पर फैसले व निर्देश देने की प्रघटना है।

Ex. जनहित याचिका

व्याख्या :- न्यायिक सक्रियता की शुरुआत पी० भगवती के काल से मानी जाती है जब संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को धरातल पर उतारने के लिए न्यायपालिका ने जनहित के मुद्दों (पर्यावरण, भूखमरी, स्वास्थ्य आदि) को लेकर निर्णय देने शुरू किए। वर्तमान में कुछ विशेषज्ञ इसे अतिसक्रियता तक पहुंचने का आक्षेप लगाते हैं।

अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण ?

भारत में शासन के तीनों अंगों को पृथक रहकर चेक व बैलेंस की पद्धति के लिए शासन का संविधान में लिखा गया है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किंतु कार्यपालिका व विधायिका द्वारा अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से न निभाने पर मूल अधिकारों की रक्षा (अनु॰13, 32, 136, 226) के लिए न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी पड़ती है जैसे जीवन के अधिकार (अनु॰21) में स्वच्छ पर्यावरण, अनाज, शुद्ध पानी आदि का अधिकार शामिल करके लागू करवाने के लिए निर्देश देना।

लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि होती है जिसका प्रतिनिधित्व विधायिका करती है अतः विधायिका का मुख्य नीतिनिर्माण व कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है वहीं कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कार्यों का जवाब देती है अतः इन्हें अपना कार्य करने देना चाहिए अन्यथा न्यायपालिका पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ेगा।

* न्यायाधीश जनता से चुनकर नहीं आते अतः अतिविद्वान होते हुए भी नीति निर्माण की शक्ति उन्हें नहीं दी जा सकती है कुछ आलोचक इस अतिसक्रियता को 'कान्सटीट्यूशन रिराइटिंग' या 'एडवेंचरिज्म' भी कह रहे हैं जो घातक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः न्यायिक सक्रियता से अतिसक्रियता में नहीं जाना चाहिए अन्यथा 'न्यायाधीशों का शासन' हो जाएगा जो संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Compare the constitutional position of Rajya Sabha with the Lok Sabha in terms of legislative powers. Also bring out special powers given to Rajya Sabha in this context.

विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा के सापेक्ष राज्य सभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में राज्य सभा को दी गई विशेष शक्तियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा (अनुच्छेद 79, 80)

शक्तियों की तुलना

संदर्भ	लोकसभा	राज्यसभा
सामान्य विधेयक	दोनों सदनों को समान शक्तियां तथा संयुक्त बैठक का प्रावधान।	
वित्त विधेयक 117 (1) (3)	लोकसभाध्यक्ष धन (110) विधेयक घोषित करता है जिससे लोकसभा को लगभग एकाधिकार शक्ति	राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक नहीं
संविधान संशोधन	दोनों सदनों को समान शक्तियां, संयुक्त बैठक नहीं	
	अनुदान की मांग केवल लोकसभा ही मतदान कर सकती है।	मतदान नहीं कर सकती

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां :-

① राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है (249)

② नयी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन (312) हेतु प्रस्ताव पास कर सकती है।

स्पष्ट है कि वित्त विधेयक संबंधी मामलों को छोड़कर राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियां रखती है यद्यपि इसके पास कुछ विशेष शक्तियां भी है जो संघवाद के अनुकूल है राज्यसभा की महत्ता को समझकर इसे समान महत्त्व देना चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Comment upon the distribution of legislative subjects between the Centre and states. Under what circumstances does the Parliament make laws on matters enumerated in the State list?

केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों के वितरण पर टिप्पणी कीजिए। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बना सकती है?

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। सातवीं अनुसूची में केन्द्र व राज्य के मध्य विधायी विषयों का बँटवारा किया गया है

विधायी विषयों का वितरण -

* संघ सूची में 100, समवर्ती सूची में 52 व राज्य सूची में 61 विषय है
* संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, संचार, बैंकिंग आदि है।
* 42th संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के विषयों जैसे शिक्षा, वन आदि समवर्ती सूची में डाल लिया गया जहां केन्द्र का अधिक नियंत्रण है
* अवशिष्ट सूची भी केन्द्र के पास है
* समवर्ती सूची में दोनो के विधान होने पर केन्द्र के विधान को प्राथमिकता दी जाती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है।

निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है

① यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो (1 साल तक मान्य)

② अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि को लागू करने हेतु

③ यदि दो या अधिक राज्य मिलकर इस हेतु प्रस्ताव दे तो।

④ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में (352)

⑤ राष्ट्रपति शासन की स्थिति में (356)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट है कि विधायी शक्तियों के संदर्भ में केन्द्रीकरण की प्रवृति है। पुंछी आयोग व 2nd ARC के सुझावो पर अमल करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Explain the significance of the concept of 'separation of powers' in a democracy. What can be the reasons for India not following the doctrine in the strict sense?

लोकतंत्र में 'शक्तियों के पृथक्करण' की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत द्वारा इस सिद्धांत का कठोर अर्थों में अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं?

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था जिसे अमेरीकी संविधान में कठोरता से पालन किया गया है।

<u>महत्व</u> - शासन के तीनों अंगों के अपने अलग कार्य होते हैं। पृथक्करण के अभाव में अतिव्याप्ति व अल्पव्याप्ति हो जाएगी

* तीनों अंगों के साथ मिल जाने से तानाशाही होने पर लोकतंत्र खतरे मे पड सकता है।

* न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान व मूल अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक

* विधायिका जनता की आवाज होती है अत: उन्हें स्वतंत्र नीति निर्माण हेतु पृथक्करण आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट है कि लोकतंत्र के सफल होने के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है।

भारत द्वारा कठोर अनुपालन न करने का कारण :-

* भारत में चेक एण्ड बैलेंस शासन प्रणाली अपनाई गई है

* भारत में संविधान ही सर्वोच्च है जिसकी रक्षा न्यायपालिका करती है

* भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है तथा विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है

* भारत में मूल अधिकारों की गारंटी भी मूल अधिकार है अत: न्यायपालिका को न्यायिक परीक्षण करना पड़ता है।

* कार्यपालिका की तानाशाही को रोककर संसदीय नियंत्रण अपनाया गया ताकि स्वतंत्रता पूर्व के उत्तरदायी अभाव सरकार का अनुभव पुनः न मिले

स्पष्ट है कि भारत में ब्रिटेन की व्यवस्था की निकटता, उत्तरदायित्व की प्राथमिकता व स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए नियंत्रण व संतुलन पद्धति अपनाई गई जिसे व्यवहार में भी अधिकतम लागू रखने के लिए जनता को जागरुक होना होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Explain the grounds on which a National Emergency can be declared and highlight its effects on Centre-state relations and Fundamental Rights.

उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है एवं केंद्र-राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

राष्ट्रीय आपातकाल का 'अनुच्छेद 352 में उल्लेख है।

आधार - ① बाह्य - युद्ध या बाह्य आक्रमण होने या होने की संभावना पर

② आंतरिक - सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में

इन आधारों पर केन्द्रीय कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र या कुछ हिस्सों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।

केन्द्र - राज्य संबंधों पर प्रभाव :-

1. राज्यों की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा विधायिका को विघटित या भंग किया जा सकता है।

2. केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है

3. केन्द्र राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व वितरण को संशोधित कर सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है

* राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए जा सकते हैं।

मूल अधिकारों पर प्रभाव :-

अनु० 358	अनु० 359
1. अनु० 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे	1. अनु० 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति आदेश के निर्धारित समय ~~व~~ होगा तक निलंबित रहेगी (गारंटी नहीं मिलेगी)
2. संपूर्ण भारत में लागू	2. विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है
3. केवल बाह्य आपातकाल में लागू	3. बाह्य व आंतरिक दोनों में लागू

स्पष्ट है कि 358 व 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है जिस पर आपातकाल समाप्ति में भी प्रश्नचिह्न नहीं उठाया जा सकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Analyze how the CAG ensures financial accountability of the Executive to the Legislature while working as an independent Constitutional body.

विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए CAG, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है?

संविधान के अनुच्छेद 148-151 मे CAG के प्रावधान उल्लेखित है।

वित्तीय जवाबदेही कैसे सुनिश्चित:-

* कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिससे वह निडर होकर कार्यपालिका के व्यय को जाँचती है।

* कैग संसद की स्थाई वित्तीय समिति लोकलेखा समिति का मित्र व पथपदर्शक होता है। जिसमें वार्षिक व्ययों की समीक्षा की जाती है

* कैग कार्यपालिका द्वारा किए गए संसद से व्यय की समीक्षा करता है जो न केवल पोस्टमार्टम होता बल्कि उचित तरीके से खर्च किया गया या नहीं की भी परीक्षा करता है जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला

* कैग अपनी रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाता है जहाँ कार्यपालिका से सांसद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रश्न पूछ सकते है।

* कैग की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया, सिविल सोसाइटी व आमजन भी कार्यपालिका पर दबाव बनाते हैं।

स्पष्ट है कि कैग कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रबल उपकरण है किंतु निम्न चिंताएं भी है -

* कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर होती है अतः कार्यपालिका अपने पसंदीदा व्यक्ति को इस पद पर बिठा सकती है

* कैग पर कार्यभार

* कैग में लेखापाल विशेषज्ञों की कमी

* संसद में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी

* उदाहरण - राफेल मामले में रिडेक्टिव प्राइसिंग ऑडिट की गई जो प्रश्नचिह्न लगाती है

निष्कर्ष : कैग की नियुक्ति कॉलेजियम (CJI, विपक्ष नेता) द्वारा होनी चाहिए। 2nd ARC के सुझाव लागू हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlight the veto powers of the President of India. How does the veto powers of the Governor differ from that of the President?

भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों पर प्रकाश डालिए। राज्यपाल की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों से किस प्रकार भिन्न हैं?

अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

* जेबी वीटो - राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनन्तकाल तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाक अधि० के संदर्भ मे प्रयोग किया

* निरपेक्ष वीटो - राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। ऐसा सामान्यतया लोकसभा के विघटन पर किया जाता है

* विशेष वीटो - राष्ट्रपति विधेयक को विधायिका को पुनः लौटा सकता है जिसे विधायिका द्वारा पुनः पास करने पर अनुमति देनी आवश्यक हो जाती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत वीटो शक्ति रखता है जो राष्ट्रपति से निम्न अर्थों में भिन्न है

राष्ट्रपति (111)	राज्यपाल (200)
1. तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ है	1. जेबी वीटो शक्ति नहीं है।
2. विधेयक को आगे भेजने का विकल्प नहीं	2. अनु० 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है
3. विशेष वीटो शक्ति में पुनः लौटा सकता है	3. एक भी बार पुनः नहीं लौटा सकता है

स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ राज्यपाल से विस्तृत है। यह शक्तियाँ विधायिका द्वारा जल्दबाजी में अथवा बिना विश्वासमत के पारित विधेयकों को नियमित करने के लिए दी गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Even though the parliamentary system of government in India is largely based on the British parliamentary model it never became a replica of the British system. Elaborate.

यद्यपि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है तथापि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बनी। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारत में शासन का संसदीय संघात्मक स्वरूप अपनाया गया। जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।

समानताएँ - 1. ~~प्रधानमंत्री का पद~~ उच्च सदन व निम्न सदन की अवधारणा

2. संसदीय विशेषाधिकार

3. नाममात्र कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में भेद

4. कार्यपालिका का विधायिका में चुना जाना तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व

5. संसद में संशोधन की असीमित शक्ति (यद्यपि भारत में मूल ढाँचा)

6. विधि का शासन आदि

असमानताएं 1. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का निम्न सदन का होना आवश्यक है जबकि भारत में केवल परम्परा

2. भारत में संविधान सर्वोच्च, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है

3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक परीक्षण की शक्ति रखता है, ब्रिटेन में नहीं

4. भारत गणराज्य है।

5. भारत लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है

6. भारत में शेडो कैबिनेट नहीं होती है

स्पष्ट है कि ब्रिटेन से व्यवस्था की निकटता होते हुए भी भारत ने उपर्युक्त असमानताएं अपनाई जो –

① भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल

② संघवाद के अनुकूल

③ संविधान की जीवंतता के अनुकूल है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन की प्रतिकृति कहना डॉ॰ अंबेडकर के अनुसार संविधान का अपूर्ण अध्ययन का परिणाम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. A number of judicial pronouncements and constitutional amendments have altered the balance between Fundamental Rights and Directive Principles of Sate Policy since the commencement of the constitution. Analyse.

संविधान के लागू होने के पश्चात से अनेक न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधनों ने मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के मध्य के संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

संविधान के भाग 3 (अनु12-35) में मूल अधिकार व भाग 4 (अनु36-51) में नीति निदेशक तत्व उल्लेखित हैं

दोनो के मध्य टकराव चम्पाकम दोराईजान वाद 1951 से ही शुरू हुआ

न्यायिक निर्णय	संविधान संशोधन
1. चम्पाकम दोराईजान वाद 1951 – मूल अधिकारों को प्राथमिकता	1. 1st संविधानसंशोधन 1951 – नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता
2. गोलकनाथ वाद 1967 नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता	2. 25th CA समस्त नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी
3. केशवानन्द भारती वाद 1973 मूल ढांचे का निर्णय 31 ग को मान्यता – 39 D, E के समय अनु॰ 14 व 19 लागू नहीं होंगे	3. 42th CA 1976
	4. 44th CA 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. मिनर्वा मिल्स वाद 1980, – इसमे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व एक गाड़ी के दो पहियों के समान है जो दोनो साथ-साथ चलेंगे।

वस्तुतः यह विवाद समाजवादी नीतियों को लागू करने पर संपत्ति के अधिकार आदि के संदर्भ मे हुआ। जिसे केशवानन्द भारती वाद मे 31ग को मान्यता देकर सुलझाया गया।

मूल अधिकार जहां व्यक्तिगत अधिकारो पर अधिक बल देते है वही DPSP समाज हित का प्रतिनिधित्व करते है अतः दोनो के मध्य संतुलन रेखा खींचना आवश्यक है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Highlight the powers and functions of the Election Commission of India (ECI). Also, discuss the issues regarding the independence and impartiality of the ECI.

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, ECI की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन आयोग संबंधी उल्लेख है।

शक्तियां व कार्य -

1. भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना (324) - विशाल आकार हुई है

2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व आम चुनाव कराना

3. मतदाता सूची तैयार करवाना, अद्यतन रखना

4. चुनाव सुधार लागू करना - EVM, VVPAT आदि

5. जनप्रतिनिधित्व अधि० 1951 के तहत सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देना (अर्धन्यायिक कार्य)

6. राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटन संबंधित विवादों का निपटान

7. परिसीमन आयोग की मदद करना तथा चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वतंत्रता व निष्पक्षता संबंधी मुद्दे :-

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु ऐसा ही चुनाव आयोग होना आवश्यक है जो स्वस्थ लोकतंत्र का भी आधार है

* निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा होनी चाहिए क्योंकि इनकी स्वतंत्रता पर कार्यपालिका का दबाव रहता है

* अन्य निर्वाचन आयुक्तो की शक्तियां भी मुख्य निर्वाचन आयुक्तो के समान होनी चाहिए

* सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए।

* Ex. चुनावी बॉन्ड के संबंध मे निर्वाचन आयोग के न चाहते हुए भी लागू करना इसकी शक्तिहीनता को दर्शाता है

अतः स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के लिए उपर्युक्त सुझावो को लागू किया जाए तथा चुनाव सुधारो को जल्द अपनाया जाए

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)